

न्यायालय, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 भिण्ड, जिला-भिण्ड (म.प्र.):

(समक्ष- धनराज दुबेला)

व्यवहार वाद प्रकरण क्रमांक- 185ए/2016 इ.दी.

फाइलिंग नंबर- 1021136/2016

संस्थित दिनांक- 25.10.2016

1. राधाकान्त सारस्वत पुत्र श्री कामता प्रसाद सारस्वत,
आयु- 49 साल, निवासी- वार्ड क्र.19 माधौगंज हाट,
भिण्ड (म0प्र0)
2. कामता प्रसाद सारस्वत पुत्र स्व0 श्री सिपाहीराम सारस्वत,
आयु- 82 साल, निवासी- वार्ड क्र.19 माधौगंज हाट,
भिण्ड (म0प्र0)
3. सुदामा प्रसाद सारस्वत पुत्र स्व0 श्री सिपाहीराम सारस्वत,
आयु- 85 साल, निवासी- डी0आर0पी0लाईन,
ग्वालियर म0प्र0

.....वादी/आवेदकगण

विरुद्ध

1. म0प्र0शासन जयें कलेक्टर महोदय जिला भिण्ड म0प्र0
2. नगरपालिका परिषद, भिण्ड द्वारा मुख्य नगरपालिका
अधिकारी महोदय, नगरपालिका परिषद भिण्ड म0प्र0
..... प्रतिवादीगण/अनावेदकगण

—:: आदेश ::—

{ दिनांक 25.11.2016 को पारित }

1. इस आदेश द्वारा वादी/आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 व्य0प्र0सं0 आई0ए0क्र0 2/16 का निराकरण किया जा रहा है।

2. वादी/आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/आवेदकगण की ओर से यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध वास्ते विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 व 38 के अंतर्गत स्वत्व घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। वादी/आवेदकगण के स्वामित्व व आधिपत्य का वार्ड क्र.19 में एक मकान स्थित है जो पूर्व से पश्चिम- दक्षिण दिशा की ओर 37 फीट व उत्तर दिशा की ओर 36 फीट 6 इंच व उत्तर से दक्षिण 23 फीट 6 इंच है। उक्त मकान की चतुर सीमा- उत्तर में प्रेमचन्द्र जैन का मकान, दक्षिण में मुलशेर खान का मकान, पूर्व में श्रीराम कोरी का मकान व पश्चिम में सदर रोड स्थित है। उक्त मकान वादीगण क्र.2 व 3 के चाचा स्व0 सेवाराम जिनका कि वर्ष 1967 में ला-औलाद अविवाहित स्थिति में देहांत हो गया, जिनके वारिसान वादी क्र.2 व 3 है, ने उपरोक्त जायदाद में 23 फीट 6 इंच गुणा 35 फीट 6 इंच में बनी मकानियत को उक्त मकान के तत्कालीन मालिक मुसम्मात रामप्यारी बेबा महावीर प्रसाद व मथुरा प्रसाद बल्द कालीचरण से जयें रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.11.1947 को क्रय किया था तथा उक्त मकान के पश्चिम दिशा में नगर पालिका की कुछ जगह फर्द पड़ी थी जो उत्तर से 23 फीट 6 इंच व पूर्व से पश्चिम दक्षिण दिशा की ओर 2

फीट 6 इंच व उत्तर दिशा की ओर 1 फीट जगह को वादी क्र.2 व 3 के चाचा स्व० सेवाराम ने प्रतिवादी क्र.2 से जर्जे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बयनामा सुल्तानी दिनांक 09.04.52 को कय की थी।

3. वादी/आवेदकगण का यह भी अभिकथन है कि वादी/आवेदक क्र.2 ने उपरोक्त मकान जीर्ण-शीर्ण होने से नवनिर्माण की अनुमति चाही जो प्रतिवादी क्र.2 द्वारा जर्जे प्र०क्र० 13/67गुणा3/3 दिनांक 14.02.1967 को दी गयी, जिसका परवाना क्र. 160 दिनांक 07.03.67 को प्रतिवादी क्र.2 द्वारा जारी किया गया। वादी क्र.1 ने भी वर्ष 1981 में कुछ नवनिर्माण कराने की अनुमति चाही जो उसे प्रतिवादी क्र.2 द्वारा जर्जे प्र०क्र० 132/81 गुणा 3/3 में अनुमति दिनांक 24.11.81 के द्वारा प्रदान की गयी। इस प्रकार वादी/आवेदकगण विवादित मकान में निरन्तर निवास करते चले आ रहे हैं। वादी क्र.2 ने दिनांक 09.09.2016 को विवादित मकान में 6 गुणा 22 फीट में वादी क्र.1 को अतिक्रमक बताते हुए उक्त तथाकथित अतिक्रमण को हटाये जाने का सूचना पत्र दिया गया। जिस संबंध में प्रतिवादियों को व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 80 एवं नगरपालिका अधिनियम की धारा 319 के अंतर्गत वैधानिक नोटिस देकर सही तथ्यों को बताते हुए यह सूचना दी गयी कि उनके द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया और न ही कोई अवैध निर्माण किया गया है। प्रतिवादीगण को वादीगण के मकान का वैध निर्माण होने से अतिक्रमण बताकर अवैध रूप से तोड़ने का अधिकार नहीं है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि यदि कानून में किसी विशिष्ट रीति से कुछ किया जाना विहित किया गया है तो उसे उसी रीति से किया जाना चाहिए। अन्य रीतियां वर्जित हैं। प्रतिवादीगण को जनहित में सड़क चौड़ीकरण के लिए यदि उन्हें भूमि की आवश्यकता है तो उन्हें विधि अनुसार भूमि का अधिग्रहण कर मुआवजे का भुगतान कर ही भूमि को अधिग्रहण करना चाहिए न कि अवैध रूप से वैध रूप से निर्मित स्वत्वाधिकारियों के मकान को गलत रूप से अतिक्रमक बताकर विधि द्वारा दी गयी शक्तियों का दुरुपयोग कर तोड़ने का कृत्य करना चाहिए। प्रतिवादीगण क्र. 1 व 2 के उपरोक्त अवैध नोटिस से वादीगण जो कि सीनियर सिटीजन हैं, को अत्यंत मानसिक पीड़ा हुई है व अतिक्रमक संबोधित करने से उनकी अत्यंत मानहानि भी हुई है, जो अपूर्तिनीय है। प्रतिवादी क्र.2 ने वादियों के वैध रूप से बने मकान में 6 गुणा 22 फीट जगह पर अतिक्रमक होना अवैध रूप से माना है जबकि सारा निर्माण उपरोक्तानुसार कय की गयी जगह में वैध रूप से अनुमति प्राप्त कर बनाया गया है। अतः वादी/आवेदकगण का प्रथम दृष्टया वाद है तथा सुविधा का संतुलन भी वादी/आवेदकगण के पक्ष में है। प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण के मकान को तोड़ दिया गया तो वादी/आवेदकगण को अपूर्णतनीय क्षति होगी। अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रतिवादीगण, वादी/आवेदकगण के रिहायशी मकान में किसी भी प्रकार का अवैध रूप से अतिक्रमण बताकर तोड़फोड़ न तो स्वयं करें और न ही अपने अधिकृत किसी व्यक्ति या एजेंट से करावे।

4. अनावेदक/प्रतिवादी क्र.2 की ओर से वादी/आवेदकगण के आवेदन पत्र का उत्तर प्रस्तुत कर आवेदन पत्र की कंडिका-1 व 2 के अभिकथनों को स्वीकार नहीं किया है। आवेदन पत्र की कंडिका-3 के संबंध में यह लेखबद्ध किया है कि सेवाराम की मृत्यु का कोई प्रमाण पत्र प्रकरण में प्रस्तुत न होने से उसकी मृत्यु की जानकारी प्रतिवादी क्र.1 को नहीं है। जिस मुसम्मात रामप्यारी से सेवाराम द्वारा मकान को कय करना बताया गया है उस रामप्यारी ने मकान

को कैसे प्राप्त किया इसका भी कोई उल्लेख वादपत्र व आवेदन पत्र में नहीं किया गया है तथा रामप्यारी के मकान के स्वत्वाधिकारी होने के कोई दस्तावेज भी प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिस बयनामा सुल्तानी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र होना बताया गया है उससे यह प्रकट नहीं है कि बयनामा सुल्तानी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र है। आवेदन पत्र की कंडिका-4 के उत्तर में प्रतिवादीगण की ओर से निवेदन किया है कि सुदामा के वारिसान की कोई जानकारी वंशवृक्ष में अंकित नहीं है। रविकांत को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। राधाकांत किस आधार पर भवन के स्वामी हैं, इसका भी कोई उल्लेख वादपत्र में नहीं है। प्रतिवादीगण की ओर से अपने जबाब में यह भी अभिकथन किया है कि वादी क.1 भवन स्वामी नहीं है तो उसे अतिक्रमण हटाने संबंधी नोटिस का स्पष्ट उत्तर देना चाहिए था। वादी क.1 स्वयं मकान का मालिक नहीं है तो उसे दावा दायर करने का कोई अधिकार नहीं है तथा उसके द्वारा जो अतिक्रमण किया गया है उसको तोड़ने का पूर्ण अधिकार नगर पालिका को है। सड़क निर्माण का कार्य पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कराया जा रहा है जो कि लोकहित में है। सड़क चौड़ीकरण के लिए सड़क सड़क के दोनों किनारों पर किये गये अतिक्रमण शुदा भागों को हटाया जाना अत्यंत आवश्यक है तभी पीडब्ल्यूडी की जगह पर निर्मित होने वाली सड़क का चौड़ीकरण हो सकेगा। दोनों ओर पानी निकास के लिए नालियां बनायी जा सकेंगी व फूटपाथों का निर्माण किया जा सकेगा। शासन की कल्याणकारी व विकास की योजनाओं से वादीगण को अपूर्तिनीय क्षति होने की संभावना भी नहीं है, सुविधा का संतुलन भी वादीगणों के पक्ष में नहीं है तथा अस्थायी निषेधाज्ञा के अभाव में वादीगणों को अपूर्णतनीय क्षति होने की कोई संभावना नहीं है। अतः वादी/आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र सब्यय निरस्त किया जावे।

5. वादी/आवेदकगण की ओर से अपने आवेदन पत्र के समर्थन में वादी राधाकांत सारस्वत का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है व सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। प्रतिवादी क.2 की ओर से अपने जबाब के समर्थन में आर.के. नरवरिया का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिनका अवलोकन किया गया।

6. विचारणीय प्रश्न यह हैं कि:-

- (अ) क्या वादी/आवेदकगण का यह प्रथम दृष्टया वाद है ?
- (ब) क्या सुविधा का संतुलन वादी/आवेदकगण के पक्ष में है ?
- (स) क्या वादी/आवेदकगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा पारित नहीं की गयी तो वादी/आवेदकगण को अपूर्णतनीय क्षति होगी ?

—: : विचारणीय प्रश्न क.अ पर निष्कर्ष : :—

7. वादी/आवेदकगण की ओर से अपने वादपत्र, आवेदन पत्र एवं शपथ प में यह अभिकथन किया है कि वादपत्र के साथ नजरी नक्शा में दर्शायी स्थिति के अनुसार वादीगण वादग्रस्त भूमि के स्वत्व व आधिपत्यधारी हैं। वादग्रस्त मकान पूर्व से पश्चिम— दक्षिण दिशा 37 फीट व उत्तर दिशा 36 फीट 6 इंच व उत्तर से दक्षिण 23 फीट 6 इंच है। उस मकान के उत्तर में प्रेमचन्द्र जैन का मकान, दक्षिण में गुलशेर खान का मकान, पूर्व में श्रीराम कोरी का मकान व पश्चिम में सदर रोड स्थित है। उक्त मकान सेवाराम के द्वारा तत्कालीन मालिक मुसम्मात रामप्यारी बेबा महावीर प्रसाद व मथुरा प्रसाद बल्द कालीचरण से जर्ज रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.11.1947 को क्रय किया

था। वादीगण मृतक सेवाराम के वारिसान हैं। उक्त मकान के उत्तर से 23 फीट 6 इंच व पूर्व से पश्चिम दक्षिण दिशा की ओर 2 फीट 6 इंच व उत्तर दिशा की ओर 1 फीट जगह को वादी क.2 व 3 के चाचा स्व० सेवाराम ने प्रतिवादी क.2 से जर्ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बयनामा सुल्तानी दिनांक 09.04.52 को कय किया था। उसी मकान पर प्रतिवादीगण अतिक्रमण बताकर विधिवत अधिग्रहण किये बिना अवैध रूप से तोड़ना चाहता है, जिसका कानूनन रूप से कोई अधिकार नहीं है। इस संबंध में वादी/आवेदकगण की ओर से विक्रय पत्र दिनांक 27.10.1947 एवं बयनामा दिनांक 09.08.1950 की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है जिनका परिशीलन किया गया।

8. इस संबंध में अनावेदक/प्रतिवादी क.2 की ओर से अपने जबाब में अभिकथन किया है कि वादीगण की ओर से असत्य व निराधार दावा व आवेदन प्रस्तुत किया है। वादीगण का प्रथम दृष्टया वाद नहीं है। जबाब में प्रतिवादी की ओर से यह भी अभिकथन किया है कि वादीगण के द्वारा सड़क की जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है, इस कारण सड़क के निर्माण व विकास के लिए अतिक्रमण हटाया जाना आवश्यक है। वादीगण को दावा दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। अतिक्रमणशुदा भाग को तथा अवैध निर्माण को तोड़ने का पूर्ण अधिकार नगरपालिका को है। नगरपालिका की ओर से वादीगण को अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया, उसका सूचना पत्र वादीगण की ओर से नगरपालिका को दिया गया, उसके जबाब का इंतजार किये बिना ही वादीगण ने सीधा दावा दायर कर दिया गया है। सड़क का निर्माण कार्य पी०डब्ल्यू०डी० विभाग द्वारा कराया जा रहा है जो कि लोकहित में है। सड़क चौड़ीकरण के लिए सड़क के दोनों किनारों पर किये गये अतिक्रमण शुदा भागों को हटाया जाना अत्यंत आवश्यक है तभी पी०डब्ल्यू०डी० की जगह पर निर्मित होने वाली सड़क का चौड़ीकरण हो सकेगा। दोनों ओर पानी निकास के लिए नालियां बनायी जा सकेंगी व फूटपाथों का निर्माण किया जा सकेगा। शासन की कल्याणकारी व विकास की योजनाओं के कारण वादीगण का कोई प्रथम दृष्टया वाद नहीं है। अतः वादीगण का आवेदन पत्र निरस्त किया जावे।

9. वादी/आवेदकगण की ओर से अपने पक्ष समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है व सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। उसी के आधार पर वादी/आवेदकगण की ओर से यह वाद व आवेदन पत्र प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादीगण, वादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य के मकान को तोड़फोड़ न करें। ऐसी स्थिति में वादी/आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत वाद प्रथम दृष्टया होना परिलक्षित होता है।

—: : विचारणीय प्रश्न क.ब पर निष्कर्ष : :—

10. वादी/आवेदकगण की ओर से अपने वादपत्र एवं आवेदन पत्र में अभिकथन किया है कि प्रतिवादी क.2 ने दिनांक 09.09.2016 को विवादित मकान में 6 गुणित 22 फीट में वादी क.1 को अतिक्रामक बताते हुए उक्त तथाकथित अतिक्रमण को हटाये जाने का सूचना पत्र दिया गया, जिसके आधार पर प्रतिवादीगण वादग्रस्त मकान को सड़क चौड़ीकरण का बहाना लेते हुए वादीगण के मकान को गलत रूप से अतिक्रामक बताकर विधि द्वारा दी गयी शक्तियों का दुरुपयोग कर तोड़ने का कृत्य करना चाहते हैं। यदि प्रतिवादीगण के द्वारा गलत रूप से वादीगण को अतिक्रामक बताकर विधि द्वारा दी गयी शक्तियों का दुरुपयोग कर तोड़ दिया गया तो वादीगण को अपूर्णतनीय क्षति होगी। अतः सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है।

11. इस संबंध में प्रतिवादी क्र.2 की ओर से जबाब में व शपथ पत्र आर0के0नरवरिया ने यह अभिकथन किया है कि सड़क निर्माण का कार्य पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग द्वारा कराया गया जो लोकहित में है। सड़क चौड़ीकरण के लिए सड़क के दोनों किनारों पर सह अतिक्रमण हटाया जाना है। शासन की कल्याणकारी व विकास की योजनाओं से वादीगण को कोई अपूर्तनीय क्षति होने की संभावना नहीं है। सुविधा का संतुलन वादी/आवेदकगण के पक्ष में नहीं है।

12. इस संबंध में वादी/आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत प्रतिवादी क्र.2 नगरपालिका अधिकारी, भिण्ड के द्वारा उसे दिये गये सूचना पत्र दिनांक 09.09.2016 का परिशीलन किया जिसमें प्रतिवादी क्र.2 मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा सूचना पत्र में लेखबद्ध किया गया है कि वादीगण के द्वारा 6 गुणित 22 वर्गफीट की भूमि पर बाउण्ड्रीबॉल बनाकर अतिक्रमण किया है जिससे आवागमन में बाधा होती है तथा दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। उसी स्थान को प्रतिवादी क्र.2 के द्वारा अतिक्रामक मानकर वादी/आवेदकगण को अतिक्रमण हटाने का सूचना प दिया गया। संपूर्ण वादी के मकान को तोड़ने अथवा हटाने का कोई सूचना पत्र वादी/आवेदकगण को प्रतिवादी क्र.2 द्वारा दिया जाना परिलक्षित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में वादी/आवेदकगण के पक्ष में सुविधा का संतुलन होना परिलक्षित नहीं होता है।

—: : विचारणीय प्रश्न क.स पर निष्कर्ष : :—

13. सुविधा का संतुलन वादी/आवेदकगण के पक्ष में नहीं है। प्रतिवादी क्र.2 के द्वारा वादी/आवेदकगण को दिये गये सूचना पत्र दिनांक 09.09.2016 के परिशीलन से यह परिलक्षित नहीं होता है कि प्रतिवादी क्र.2, वादीगण के आधिपत्य के समस्त मकान को हटाना अथवा तोड़ना नहीं चाहता है, केवल अतिक्रामक स्थान और बाउण्ड्रीबॉल को हटाने का सूचना पत्र प्रतिवादी क्र.2 के द्वारा वादी/आवेदकगण को दिया गया है। प्रतिवादी क्र.2 की ओर से अपने जबाब में यह स्पष्ट अभिकथन किया है कि वादीगण के द्वारा सड़क की जगह पर अतिक्रमण किया है। इस कारण सड़क के निर्माण वच विकास कार्य के लिए अतिक्रमण हटाया जाना आवश्यक है। उक्त कार्य लोकहित में है। सड़क चौड़ीकरण के लिए सड़क के दोनों किनारों पर किये गये अतिक्रमण को हटाया जाना आवश्यक है। तभी पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा जगह पर सड़क पर निर्माण हो सकेगा और दोनों ओर पानी के निकास के लिए नालियां बनायी जा सकेगी व फुटपाथों का निर्माण किया जा सकेगा। शासन की कल्याणकारी व विकास की योजनाओं से वादी/आवेदकगण को अपूर्तनीय क्षति होने की संभावना नहीं है।

14. इस संबंध में वादी/आवेदकगण की ओर से अपने पक्ष समर्थन में न्याय दृष्टांत रामचन्द्र रॉव वि0 लक्ष्मीनारायण 1997 (1) एम.पी.वीकली नोट 169 प्रस्तुत किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि प्रथा— कतिनस कार्य कतिपय तरीके से किए जाने की शक्ति— कार्य उसी तरीके से किया जाना चाहिए अथवा किया ही नहीं जाना चाहिए। वादी/आवेदकगण की ओर से अपने पक्ष समर्थन में न्याय दृष्टांत वाहिद खान व अन्य वि0 स्टेट ऑफ म0प्र0 2012 (3) एम.पी.जे.आर. पृष्ठ 163 प्रस्तुत किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि वक्त

अधिनियम की धारा 248 एवं धारा 249 कुछ प्रकार की भूमि के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए राजस्व प्राधिकारियों को सशक्त करती है जिन्हें कि उक्त प्रावधान में दर्शित किया गया है। वक्फ संपत्ति अतिक्रमण के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकती। वादी/आवेदकगण की ओर से अपने पक्ष समर्थन में न्याय दृष्टांत पुरुषोत्तम लाल वि० जीवनलाल 1991 (2) एम.पी. वीकली नोट 88 प्रस्तुत किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि संपत्ति अंतरण की धारा 54- करार के अनुसरण में प्रतिवादी के विरुद्ध कोई विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किया है। वादांतर्गत मकान वादी को बेचा गया तथा विक्रय विलेख उसके पक्ष में निष्पादित किया गया— हक वादी को हस्तांतरित हो जाता है। वादी/आवेदकगण की ओर से अपने पक्ष समर्थन में न्याय दृष्टांत जुगल किशोर व अन्य वि० रामनाथ व अन्य 1992 जे.एल.जे. पृष्ठ 92 प्रस्तुत किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 उचित व्यक्ति की अभिरक्षा में आने वाला तीस वर्ष पुराना समुचित रूप से स्टांपित विक्रय विलेख— निष्पादन की उपधारणा उसके पेशकर्ता के पक्ष में की जाएगी। वादी/आवेदकगण की ओर से अपने पक्ष समर्थन में न्याय दृष्टांत विजय कुमार अग्रवाल वि० मैसर्स भारतीय टेलीकॉम लिमिटेड 2004 (1) एम.पी.जे.आर. पृष्ठ 547 प्रस्तुत किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि आदेश 39 नियम 1 व 2 व्य०प्र०सं०—अस्थायी व्यादेश के आवेदन पत्र पर विचार करते समय केवल प्रथम दृष्टि प्रकरण पर विचार किया जाना चाहिए— इस अवस्था में संपत्ति के संबंध में विवादित प्रश्नों का निर्णय करना आवश्यक नहीं है। वादी/आवेदकगण की ओर से अपने पक्ष समर्थन में न्याय दृष्टांत शर्वत जहां बेगम वि० मध्य प्रदेश राज्य 1991 (1) एम.पी.वीकली नोट 124 प्रस्तुत किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि आदेश 39 नियम 1 व 2— कब्जा दर्शित करना दर्शाते हुए प्रथम दृष्टया मामला स्थापित— कथित हक के संबंध में गंभीर प्रश्न का विकल्प अपेक्षित—वादी व्यादेश का हकदार है। वादी/आवेदकगण की ओर से अपने पक्ष समर्थन में न्याय दृष्टांत नगरपालिका वि० हिन्दुस्तान कॉरपोरेशन लिमिटेड 2009 (2) एम.पी.जे.आर.पृष्ठ 199 प्रस्तुत किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि नगर निगम ने पट्टाकृत परिसर पर बस स्टेण्ड एवं गोदाम का निर्माण किया— पट्टा की अवधि के अवसान के पश्चात् वादी बेदखली के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश प्राप्त करने का अधिकारी है क्योंकि वह संपत्ति के कब्जे में है एवं अस्थायी व्यादेश प्राप्त करने के लिए कब्जाधारी अधिकार पर्याप्त है। वादी/आवेदकगण की ओर से अपने पक्ष समर्थन में न्याय दृष्टांत डालूराम वि० हीरालाल 1997 रा०नि० पृष्ठ 206 प्रस्तुत किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि आदेश 39 नियम 1 व 2— वादी के पास हक के प्रथम दृष्टया सबूत, जैसे विक्रय विलेख तथा राजस्व प्रविष्टियां— कब्जे के संबंध में प्रतिवादी की स्वीकृति भी— अस्थायी व्यादेश का हकदार। वादी/आवेदकगण की ओर से अपने पक्ष समर्थन में न्याय दृष्टांत धनसिंह वि० गंगाबाई तथा अन्य 1992 रा०नि० पृष्ठ 226 प्रस्तुत किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि आदेश 39 नियम 1 व 2— निषेधाज्ञा का अनुतोष— कब इंकार नहीं किया जाना चाहिए— व्यक्ति का लगभग 23 वर्ष की कालावधि से शांतिमय कब्जा— मामला सारहीन अथवा आकस्मिक अधिक्रमण का नहीं। निषेधाज्ञा प्रदान की जानी चाहिए। वादी/आवेदकगण की ओर से अपने पक्ष समर्थन में न्याय दृष्टांत रामबाबू वि० सिंधी कन्या विद्यालय 2009 (2) एम.पी.जे.आर. नोट 10 प्रस्तुत किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

है कि आदेश 39 नियम 1 व 2 – वादी स्थायी कब्जे में है— यदि स्वत्व सिद्ध न भी हो तब भी अस्थायी आदेश मंजूर किया जा सकता है। वादी/आवेदकगण की ओर से अपने पक्ष समर्थन में न्याय दृष्टांत नूर मोहम्मद वि० मशद्दीन 1992 एम.पी.बी.कली नोट 109 प्रस्तुत किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि आदेश 39 नियम 1 व 2— जय हुआ कब्जा रखने वाला व्यक्ति— विधि के अवलंब के अतिरिक्त स्वामी द्वारा भी बेदखल नहीं किया जा सकता— उसका कब्जा संरक्षित किया जाना होगा। उक्त न्याय दृष्टांतों का लाभ वादी/आवेदकगण को इस प्रकरण में प्राप्त नहीं होता है क्योंकि इस प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियां भिन्न हैं।

15. इस संबंध में प्रतिवादी क्र.2 की ओर से अपने पक्ष समर्थन में न्याय दृष्टांत इन्दौर म्युनिस्पल कॉरपोरेशन वि० कुन्दन लाल 2005(2) एम.पी.एल.जे. पृष्ठ 390 प्रस्तुत किया गया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि नगरपालिका अधिनियम की धारा 307,311,322,376— सार्वजनिक स्थान र अतिक्रमण— नगरनिगम को उसे हटाने की शक्ति है और न्यायालय सार्वजनिक स्थान पर अतिक्रमणकारी को उसका व्यवसाय करने की अनुमति प्रदान करने के लिए कोई स्थायी व्यादेश नहीं दे सकता। प्रतिवादी क्र.2 की ओर से अपने पक्ष समर्थन में न्याय दृष्टांत राजेन्द्र प्रसाद व अन्य वि० म्युनिस्पल कारपोरेशन, गोहद 1999(2) एम.पी.जे.आर. शॉर्ट नोट 25 प्रस्तुत किया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि नगरपालिका अधिनियम की धारा 223— नगरपालिका को सार्वजनिक मार्ग पर किये गये अनाधिकृत निर्माण को हटाया जाना चाहिए। नगरपालिका भी मार्ग पर या उसके किसी भाग पर निर्माण नहीं कर सकती। उक्त न्याय दृष्टांतों का लाभ प्रतिवादी क्र.2 को प्रकरण में प्राप्त होता है। चूंकि, वादी/आवेदकगण के द्वारा विवादित स्थान पर किये गये अतिक्रमण को नगरपालिका के द्वारा हटाये जाने पर उसे कोई अपूर्तनीय क्षति होने की संभावना नहीं है।

16. उपरोक्त आधार पर वादी/आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 ब्य०प्र०सं० आई०ए०क्र० 2/16 निरस्त किया जाता है।

17. उभयपक्ष प्रकरण के शीघ्र निराकरण में सहयोग कारित करें।

18. इस आदेश का प्रभाव प्रकरण के गुणदोषों के आधार पर निराकरण पर नहीं होगा।

स्थान—सिविल न्यायालय, भिण्ड

दिनांक— 25 नवम्बर, 2016

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित एवं
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

मेरे आलेख पर टंकित

{धनराज दुबेला}

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग—1
भिण्ड {म.प्र.}

{धनराज दुबेला}

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग—1
भिण्ड {म.प्र.}

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)